रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-265/2024/1864/22-2-2023-17(153)11

लखनऊ: दिनांक :11 नवम्बर, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्री भागवत (बन्दी सं0-42217) पुत्र श्री खूबलाल, ग्राम-विशुनपुर बुजुर्ग, थाना-खोरावार, जनपद-गोरखपुर का निवासी है, बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-ए414/1974 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,307/149,324/149,201/149,147,395 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर के आदेश दिनांक 24.04.1976 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 02.08.2001 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया, बन्दी द्वारा दिनांक 03.02.2023 तक 21 वर्ष 04 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 08 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्तबंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-265/2024/1864(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (क्रि0) सं0-359/2024 श्रीभागवत बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य से आच्छादित होने के दृष्टिगत इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत वाद में तद्नुसार अनुपालन आख्या (सी0ए0) दाखिल कराने का कष्ट करें।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार द्विवेदी

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in